

# ॥ कार्यालय उप वन संरक्षक, कोटा (राज.) ॥

(Nayapura, Civil Lines Kota Tel / Fax No. 0744-2322747 Email ID-def.kota.forest@Rajasthan.gov.in)

क्रमांक:-एफ ( )उवसं/तक./ 2022/ 2239

दिनांक: 4.04.22

निमित्त:-

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,  
कोटा।

विषय:- **LAND FOR EXTENTION OF BHAMASHAH KRISHI UPJ MANDI SAMITI**

संदर्भ:- श्रीमान का पत्र क्रमांक 3945 दिनांक 20.08.2022

महोदय,

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है की, लगाये गये आक्षेपो की पूर्ति कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1.	प्रस्ताव में यूजर एजेन्सी द्वारा संलग्नक पत्रादि पर हस्ताक्षर के नीचे अधिकारी का नाम अंकित नहीं है। राज्य सरकार प्रशासनिक सुधार विभाग, जयपुर के आदेश क्रमांक प. 10(1)प्रसु/अनु./-1/2012 दिनांक 27.06.2019 की पालना के अनुसार हस्ताक्षर के नीचे अधिकारी के नाम/पद अंकित करावे।	हस्ताक्षर के नीचे सक्षम अधिकारी का नाम/पद पूर्व में ही अंकित है।
2.	प्रस्ताव अग्रेषित करने के दौरान मुख्य पत्र में आपने स्पष्ट अनुशंषा/राय अंकित करना आवश्यक है।	प्रत्यावर्तन हेतु अनुशंषा की जाती है।
3.	कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र (74+22 है0) अर्थात् 96 है0 मात्र का ही उल्लेख है। इसके आस पास की उपज मण्डी से लगी वन भूमि जिस पर अतिक्रमण है अथवा सक्षम स्वीकृति के बिना ही गैर वानिकी कार्य के लिये जबरन काम में ली गई। उस वन भूमि के बारे में कोई उल्लेख/टिप्पणी नहीं है।	दिनांक 30.12.2021 को श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं प्रशासक कृषि उपज मण्डी समिति कोटा के आदेश की पालना में क्षेत्रीय वन अधिकारी, सर्वेयर कार्यालय, कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) कोटा एवं राजस्व विभाग द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट अनुसार 2.06 है0 भूमि पर अतिरिक्त कब्जा कृषि मण्डी द्वारा अपने पूर्व के प्रस्तुत वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में 74+22 हेक्टर के स्थान पर 71.94+24.06 हैक्ट0 का संशोधित मानचित्र प्रस्तुत किया जा रहा है।
4.	अधिरूपित शर्त संख्या 5 के संबंध में सेन्ट्रल एम्पावर्ड कमेटी द्वारा कोई टिप्पणी दी गई है तो वस्तुस्थिति से अवगत करावे।	प्रकरण सेन्ट्रल एम्पावर्ड कमेटी के निर्णय के अधीन आता है। CEC रिपोर्ट संलग्न है।

उप वन संरक्षक  
कोटा